

नक्सल प्रभावित और गैर-नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण: छत्तीसगढ़ के संदर्भ में

प्रियंका साहू
शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा, उत्तर प्रदेश

डॉ. कुलदीप सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, गजरौला, अमरोहा, उत्तर प्रदेश

सारांश

यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित और गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) तथा क्षेत्रीय आँकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि नक्सल जिलों की केवल 61 प्रतिशत महिलाएँ 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर पाईं, जबकि गैर-नक्सल जिलों में यह अनुपात 74 प्रतिशत रहा। आर्थिक सहभागिता में भी अंतर दिखाई दिया। नक्सल जिलों में 29 प्रतिशत महिलाएँ भुगतानयुक्त कार्य में संलग्न थीं, जबकि गैर-नक्सल जिलों में यह प्रतिशत 42 था। डिजिटल पहुँच के संदर्भ में नक्सल जिलों की 49 प्रतिशत महिलाओं के पास मोबाइल फोन था, जबकि गैर-नक्सल जिलों में यह प्रतिशत 67 पाया गया। घरेलू निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत बेहतर (78 प्रतिशत) रही, परन्तु लैंगिक हिंसा की दर नक्सल जिलों में अधिक (28 प्रतिशत) पाई गई। स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति भी चिंताजनक रही क्योंकि 42 प्रतिशत महिलाएँ एनीमिया से ग्रस्त थीं।

निष्कर्षतः महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हैं।

प्रमुख शब्द: छत्तीसगढ़, नक्सल-प्रभावित क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक स्थिति, लैंगिक हिंसा।

1. प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ भारत का वह राज्य है जहाँ लंबे समय से वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) की गतिविधियाँ महिलाओं के जीवन, सामाजिक भागीदारी तथा संस्थागत पहुँच को गहराई से प्रभावित करती रही हैं। सुरक्षा का अभाव, दुर्गम भौगोलिक स्थिति, बुनियादी सेवाओं की कमी, बाज़ार तथा रोजगार के सीमित अवसर ये सभी तत्व महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, गतिशीलता, डिजिटल पहुँच और निर्णय लेने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित करते हैं (गृह मंत्रालय, 2025)।

भारत सरकार ने वर्षों के प्रयासों से नक्सल-प्रभावित जिलों की संख्या में कमी की है। वर्ष 2013 में 10 राज्यों के 126 जिले नक्सल प्रभाव में थे, जो घटकर वर्ष 2024 में केवल 9 राज्यों के 38 जिलों तक सीमित रह गए। वर्ष 2024 में

छत्तीसगढ़ के 15 जिले नक्सल-प्रभावित सूची में सम्मिलित थे, परंतु हाल के पुनर्वर्गीकरण में बस्तर और कोंडागांव जैसे जिलों को इस सूची से मुक्त कर दिया गया। यह स्थिति दर्शाती है कि नक्सल-प्रभावित जिलों का वर्गीकरण समय-समय पर बदलता रहता है, अतः किसी भी तुलनात्मक अध्ययन से पूर्व नवीनतम आधिकारिक सूची का सत्यापन आवश्यक है (लोकसभा प्रश्न संख्या 2401, 6 अगस्त 2024; प्रेस सूचना ब्यूरो, 2024; टाइम्स ऑफ इंडिया, 2025)।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के आँकड़े छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सामाजिक स्थिति की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करते हैं। 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 80 प्रतिशत महिलाओं के पास स्वयं के उपयोग हेतु बैंक अथवा बचत खाता है। 69 प्रतिशत महिलाएँ अपने मोबाइल फ़ोन का स्वयं उपयोग करती हैं। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी मात्र 47 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की भागीदारी 84 प्रतिशत है। वैवाहिक अथवा घनिष्ठ साथी हिंसा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। लगभग 19 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव बताया, जबकि कभी भी विवाहित महिलाओं में लगभग 20 प्रतिशत ने पति द्वारा हिंसा की घटना दर्ज की (एन.एफ.एच.एस.-5, छत्तीसगढ़, 2021)।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (2022) के अनुसार भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर लगभग 66.4 प्रति लाख रही। यह आँकड़ा दर्शाता है कि औपचारिक तंत्र में दर्ज मामलों की संख्या स्वयं ही अत्यधिक है, जबकि वास्तविक घटनाएँ रिपोर्ट न होने के कारण और भी अधिक हो सकती हैं। अतः संघर्ष-प्रभावित

क्षेत्रों में सुरक्षा, सेवाओं का विस्तार तथा सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन जैसे त्रिस्तरीय उपाय आवश्यक हैं (राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, 2022)।

नवीन अनुसंधान यह भी दर्शाता है कि भारत के विभिन्न जिलों में घरेलू अथवा वैवाहिक हिंसा की दर अत्यधिक असमान है। सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि कुछ जिले "हॉट-स्पॉट" के रूप में उभरते हैं, जहाँ महिलाओं की स्थिति और भी अधिक असुरक्षित है। इसका अर्थ यह है कि नक्सल-प्रभावित तथा गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों की सूक्ष्म तुलना कर जिला-विशेष नीतिगत उपाय तैयार किए जा सकते हैं (श्रीवास्तव एवं अन्य, 2023)।

अतः इस शोध का औचित्य इस तथ्य पर आधारित है कि नक्सल-प्रभावित जिलों में राज्य की क्षमता एवं सेवाओं की उपलब्धता में असमानताएँ विद्यमान हैं। उपलब्ध आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि शिक्षा, आजीविका, वित्तीय और डिजिटल पहुँच, संपत्ति के स्वामित्व, घरेलू निर्णय लेने की क्षमता तथा लैंगिक हिंसा इन सभी पहलुओं में महिलाओं की स्थिति भिन्न है। इस तुलनात्मक अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित तथा गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का गहन विश्लेषण कर नीति-निर्माताओं को प्रमाण-आधारित सुझाव उपलब्ध कराना है (गृह मंत्रालय, 2025; एन.एफ.एच.एस.-5, 2019-21; राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, 2022; श्रीवास्तव एवं अन्य, 2023)।

2. साहित्य समीक्षा

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उपलब्ध साहित्य यह स्पष्ट करता है कि नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं

की स्थिति केवल सुरक्षा-संकट का परिणाम नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, बाज़ार और रोजगार अवसर, संस्थागत पहुँच तथा सामाजिक मानदंडों की बहुआयामी अंतःक्रिया से निर्धारित होती है। भारत सरकार के अभिलेख दर्शाते हैं कि नक्सल-प्रभावित जिलों की संख्या वर्ष 2013 में 126 से घटकर वर्ष 2024 में 38 रह गई। इनमें से 15 जिले छत्तीसगढ़ में चिन्हित थे। परंतु हाल के पुनर्वर्गीकरण में बस्तर और कोंडागांव जैसे जिलों को सूची से बाहर किया गया। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि नक्सल-प्रभावित जिलों का वर्गीकरण समय-समय पर बदलता रहता है और किसी भी अध्ययन से पूर्व नवीनतम आधिकारिक सूची का संदर्भ आवश्यक है (गृह मंत्रालय, 2024; लोकसभा प्रश्न, 2024)।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019–21) से छत्तीसगढ़ में महिलाओं की सामाजिक स्थिति की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त होती है। 15–49 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 80 प्रतिशत महिलाओं के पास ऐसा बैंक अथवा बचत खाता है जिसका वे स्वयं उपयोग करती हैं। मोबाइल फ़ोन का स्वयं उपयोग करने वाली महिलाओं का अनुपात लगभग 54 प्रतिशत है। घरेलू निर्णय-निर्माण में 89 प्रतिशत महिलाएँ तीन प्रमुख निर्णयों में भागीदारी करती हैं। परंतु भुगतानयुक्त कार्य में भागीदारी का स्तर मात्र 25–26 प्रतिशत है, जबकि एक अन्य सूचक में रोजगार में महिलाओं की भागीदारी 47 प्रतिशत तथा पुरुषों की 84 प्रतिशत बताई गई है। इसी सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 19 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव बताया और कभी भी विवाहित महिलाओं में लगभग 20 प्रतिशत ने पति द्वारा हिंसा की घटना दर्ज की (एन.एफ.एच.एस.-5, छत्तीसगढ़, 2021)।

जिला-स्तर पर हिंसा और सशक्तिकरण की स्थिति में गहरा अंतर देखने को मिलता है। नवीनतम अध्ययनों ने भारत के 640 जिलों में घनिष्ठ साथी हिंसा के अनुमान प्रस्तुत किए हैं। निष्कर्ष यह निकला कि कुछ जिले उच्च-जोखिम वाले केंद्रों के रूप में उभरते हैं, जहाँ सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन और संस्थागत वंचना अधिक है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और नक्सल-प्रभावित जिलों में यह विषमता और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। यही कारण है कि नक्सल तथा गैर-नक्सल जिलों की तुलना करते हुए जिला-विशेष नीतियाँ बनाना आवश्यक है (श्रीवास्तव एवं अन्य, 2023)।

बस्तर संभाग पर केंद्रित शोधों से ज्ञात होता है कि उच्चतर शिक्षा तक पहुँच, सुरक्षित आवागमन, बाज़ार और कौशल अवसर तथा संस्थागत विश्वास की कमी महिलाओं की सामाजिक स्थिति को कमजोर करती है। एक अध्ययन में यह पाया गया कि आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका से संबंधित ढाँचागत बाधाएँ प्रमुख कारण हैं, जिनसे उनके निर्णय-निर्माण की क्षमता सीमित होती है। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित अध्ययनों ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श तक पहुँच में असमानता को उजागर किया है (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र, 2022)।

साहित्य यह भी दर्शाता है कि वित्तीय और डिजिटल समावेशन का महिलाओं के सशक्तिकरण से प्रत्यक्ष संबंध है। जिन महिलाओं के पास बैंक खाता और मोबाइल फ़ोन का स्वामित्व है, वे निर्णय-निर्माण में अधिक भाग लेती हैं और हिंसा का सामना अपेक्षाकृत कम करती हैं। हालाँकि कुछ शोधों में यह भी पाया गया है कि वित्तीय अधिकार बढ़ने पर कभी-कभी

अल्पावधि में तनाव और प्रतिरोध भी उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि केवल वित्तीय पहुँच पर्याप्त नहीं है, बल्कि परामर्श, सामुदायिक जागरूकता और कानूनी सहायता भी आवश्यक है (पाटिल एवं अन्य, 2023; जुंगारी, 2025)।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (2022) के आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर 66.4 प्रति लाख है, जो यह दर्शाती है कि औपचारिक पंजीकरण के बावजूद वास्तविक घटनाओं का बोझ और अधिक हो सकता है। अतः नक्सल-प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था, त्वरित न्यायिक सहायता तथा महिला परामर्श सेवाओं की महत्ता और भी बढ़ जाती है।

उपलब्ध साहित्य का समग्र विश्लेषण यह संकेत देता है कि नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति अनेक संरचनात्मक, आर्थिक तथा संस्थागत कारकों से प्रभावित होती है। यद्यपि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सुधार के प्रयास किए गए हैं, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वित्तीय समावेशन तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसलिए नक्सल-प्रभावित और गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों की तुलनात्मक समीक्षा महिलाओं की वास्तविक सामाजिक स्थिति को समझने तथा प्रभावी नीति-निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

3. उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं

- छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित (LWE) तथा गैर-नक्सल-प्रभावित (Non-LWE) जिलों में महिलाओं के प्रमुख सामाजिक,

आर्थिक एवं सशक्तिकरण संबंधी संकेतकों जैसे शिक्षा, आर्थिक सहभागिता, निर्णय-निर्माण, संपत्ति एवं बैंक खाते का स्वामित्व, मोबाइल उपयोग तथा घनिष्ठ साथी हिंसा (Intimate Partner Violence - IPV) का तुलनात्मक आकलन करना।

- आयु, ग्रामीण/शहरी निवास, सामाजिक वर्ग/जनजातीय स्थिति, आर्थिक स्तर (धन-क्रेडिटल) तथा वैवाहिक स्थिति जैसे नियंत्रण चरों के प्रभावों को समाहित करते हुए नक्सल-प्रभावित क्षेत्र (LWE Status) के स्वतंत्र प्रभाव का विश्लेषण करना।
- महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों तथा प्राथमिकताओं (Targeting Priorities) की पहचान करना।

4. अनुसंधान प्रश्न एवं परिकल्पनाएँ

- **RQ1:** क्या नक्सल-प्रभावित (LWE) जिलों में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक एवं सशक्तिकरण संबंधी संकेतक गैर-नक्सल-प्रभावित (Non-LWE) जिलों की तुलना में निम्न स्तर के हैं?
- **H1:** नक्सल-प्रभावित जिलों में महिलाओं की शिक्षा, डिजिटल पहुँच तथा आर्थिक सहभागिता के औसत स्तर गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों की तुलना में कम होंगे, जबकि घनिष्ठ साथी हिंसा (IPV) की व्यापकता अधिक होगी।
- **RQ2:** क्या बैंक खाते तथा मोबाइल उपयोग जैसे सशक्तिकरण कारक (Enabler Factors) महिलाओं के

निर्णय-निर्माण और घनिष्ठ साथी हिंसा (IPV) पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं?

- **H2:** बैंक खाते का स्वामित्व तथा मोबाइल उपयोग महिलाओं की निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ाएगा तथा घनिष्ठ साथी हिंसा (IPV) की संभावना को कम करेगा, अन्य सभी नियंत्रण चरों को स्थिर रखते हुए।

5. कार्यप्रणाली

5.1 अध्ययन की प्रकृति

यह अध्ययन तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक (Comparative–Explanatory) प्रकृति का है। इस अध्ययन में छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल-प्रभावित तथा गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का बहुआयामी विश्लेषण किया गया है। अध्ययन का स्वरूप मिश्रित विधि (Mixed Method) पर आधारित है, जिसमें मात्रात्मक (Quantitative) आँकड़ों के साथ-साथ गुणात्मक (Qualitative) सूचनाओं का भी उपयोग किया गया है। इस पद्धति के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा सशक्तिकरण संबंधी स्थिति का समग्र मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है।

5.2 अध्ययन क्षेत्र

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (2024) द्वारा जारी सूची के अनुसार छत्तीसगढ़ के लगभग 15 जिले नक्सल-प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किए गए हैं। इनमें बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कांकेर तथा नारायणपुर प्रमुख हैं। तुलनात्मक अध्ययन के लिए राज्य के गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों जैसे रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ आदि को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार अध्ययन

क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, जिससे दोनों प्रकार के क्षेत्रों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण संभव हो सके।

5.3 डेटा विश्लेषण

इस अध्ययन में छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित तथा गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति से संबंधित विभिन्न संकेतकों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि नक्सल-प्रभावित जिलों में महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक भागीदारी, वित्तीय एवं डिजिटल पहुँच तथा घरेलू निर्णय-निर्माण की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है, जबकि लैंगिक हिंसा का स्तर अधिक पाया गया।

शिक्षा के संदर्भ में यह पाया गया कि नक्सल-प्रभावित जिलों में 15–49 वर्ष आयु वर्ग की केवल 61 प्रतिशत महिलाएँ ही 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकीं, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह अनुपात 74 प्रतिशत था। यह अंतर दर्शाता है कि नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता तथा पहुँच अभी भी सीमित है।

आर्थिक सहभागिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय अंतर पाया गया। नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में केवल 29 प्रतिशत महिलाएँ भुगतानयुक्त कार्यों में संलग्न थीं, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में यह प्रतिशत 42 तक पहुँच गया। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार एवं आय-सृजन के अवसर अपेक्षाकृत कम उपलब्ध हैं।

वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन के संदर्भ में भी दोनों क्षेत्रों के बीच महत्वपूर्ण अंतर देखा गया। नक्सल-प्रभावित जिलों की 72 प्रतिशत महिलाओं के पास स्वयं उपयोग योग्य बैंक खाता था, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह अनुपात 85 प्रतिशत पाया गया। इसी प्रकार मोबाइल फ़ोन के स्वामित्व एवं उपयोग की स्थिति नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में केवल 49 प्रतिशत महिलाओं तक सीमित रही, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह प्रतिशत 67 दर्ज किया गया।

घरेलू निर्णय-निर्माण से संबंधित संकेतकों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत बेहतर दिखाई दी, फिर भी दोनों क्षेत्रों के बीच स्पष्ट अंतर पाया गया। नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में 78 प्रतिशत महिलाएँ स्वास्थ्य, बड़ी खरीदारी तथा बाहर जाने जैसे घरेलू निर्णयों में भागीदारी करती थीं, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में यह अनुपात 88 प्रतिशत तक पाया गया।

लैंगिक हिंसा अथवा घनिष्ठ साथी हिंसा (Intimate Partner Violence - IPV) के संदर्भ में स्थिति अधिक चिंताजनक रही। नक्सल-प्रभावित जिलों में 28 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव बताया, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह अनुपात 18 प्रतिशत रहा। यह आँकड़ा दर्शाता है कि नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक असुरक्षा तथा लैंगिक हिंसा की चुनौती अपेक्षाकृत अधिक झेलनी पड़ती है।

सारणी 1 : शिक्षा एवं आर्थिक सहभागिता की स्थिति

संकेतक	नक्सल-प्रभावित	गैर-नक्सल-प्रभावित
--------	----------------	--------------------

	जिले (%)	जिले (%)
10 वर्ष या अधिक शिक्षा	61	74
भुगतानयुक्त कार्य में भागीदारी	29	42

सारणी 2 : वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन

संकेतक	नक्सल-प्रभावित जिले (%)	गैर-नक्सल-प्रभावित जिले (%)
बैंक खाता (स्व-उपयोग)	72	85
मोबाइल फ़ोन का उपयोग	49	67

सारणी 3 : निर्णय-निर्माण एवं हिंसा का अनुभव

संकेतक	नक्सल-प्रभावित जिले (%)	गैर-नक्सल-प्रभावित जिले (%)
घरेलू निर्णयों में भागीदारी	78	88
शारीरिक/यौन हिंसा का अनुभव (IPV)	28	18

इन आँकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति अनेक मामलों में अपेक्षाकृत कमजोर है। शिक्षा और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण महिलाएँ पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं बन पा रही हैं। वित्तीय समावेशन तथा डिजिटल पहुँच का स्तर भी अपेक्षाकृत कम होने के कारण महिलाएँ आधुनिक तकनीकी संसाधनों तथा वित्तीय सेवाओं के लाभों से वंचित रह जाती हैं।

घरेलू निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी अवश्य दिखाई देती है, परंतु उसका स्तर अभी भी सीमित है। सबसे गंभीर स्थिति हिंसा से संबंधित आँकड़ों में दिखाई देती है। नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में लगभग एक-तिहाई महिलाएँ किसी न किसी प्रकार की शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव कर चुकी हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि जहाँ राज्य व्यवस्था और कानून का प्रभाव अपेक्षाकृत कमजोर होता है, वहाँ महिलाओं की सुरक्षा भी प्रभावित होती है।

5.4 अतिरिक्त डेटा विश्लेषण

नक्सल-प्रभावित तथा गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण केवल शिक्षा, रोजगार और हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य, पोषण, मातृ सेवाओं, संपत्ति के स्वामित्व तथा संस्थागत पहुँच जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं में भी उल्लेखनीय अंतर देखने को मिलता है।

स्वास्थ्य एवं मातृ सेवाएँ

नक्सल-प्रभावित जिलों की केवल 62 प्रतिशत महिलाओं ने प्रसव-पूर्व कम से कम चार बार स्वास्थ्य जाँच करवाई, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह अनुपात 78 प्रतिशत था।

इसी प्रकार संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) का प्रतिशत नक्सल-प्रभावित जिलों में 70 प्रतिशत पाया गया, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह 88 प्रतिशत दर्ज किया गया। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच अभी भी अपर्याप्त है।

पोषण की स्थिति

नक्सल-प्रभावित जिलों में 15-49 वर्ष आयु वर्ग की 42 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता (एनीमिया) से ग्रस्त पाई गई, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह अनुपात 32 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं एवं पोषण कार्यक्रमों का लाभ नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँच पा रहा है।

संपत्ति का स्वामित्व

नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में केवल 27 प्रतिशत महिलाएँ ही भूमि अथवा मकान की स्वामिनी (अकेले अथवा संयुक्त रूप से) थीं, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह अनुपात 39 प्रतिशत पाया गया। संपत्ति पर अधिकार महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, और इस क्षेत्र में दोनों समूहों के बीच स्पष्ट अंतर दिखाई देता है।

बालिकाओं की शिक्षा

नक्सल-प्रभावित जिलों में 6-14 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं की विद्यालय उपस्थिति दर 83 प्रतिशत पाई गई, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह 91 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त विद्यालय छोड़ने की दर (Drop-out Rate) भी नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में अधिक पाई गई। यह

स्थिति भविष्य में महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है।

संस्थागत पहुँच एवं सामुदायिक भागीदारी

नक्सल-प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs) की सक्रियता तो दिखाई देती है, परंतु बैंकों, प्रशिक्षण केंद्रों तथा सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच अपेक्षाकृत सीमित है। गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में लगभग 46 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी सरकारी योजना—जैसे उज्वला योजना, जन-धन योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना—से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुईं, जबकि नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में यह अनुपात केवल 31 प्रतिशत पाया गया।

सारणी 4 : स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी स्थिति

संकेतक	नक्सल-प्रभावित जिले (%)	गैर-नक्सल-प्रभावित जिले (%)
प्रसव-पूर्व कम से कम 4 जाँच	62	78
संस्थागत प्रसव	70	88
एनीमिया से ग्रस्त महिलाएँ	42	32

सारणी 5 : संपत्ति एवं शिक्षा संबंधी स्थिति

संकेतक	नक्सल-प्रभावित जिले (%)	गैर-नक्सल-प्रभावित जिले (%)
भूमि/घर का स्वामित्व	27	39
बालिकाओं की विद्यालय उपस्थिति (6-14 वर्ष)	83	91
विद्यालय छोड़ने की दर	17	9

सारणी 6 : संस्थागत पहुँच एवं योजनाओं का लाभ

संकेतक	नक्सल-प्रभावित जिले (%)	गैर-नक्सल-प्रभावित जिले (%)
सरकारी योजनाओं से लाभान्वित महिलाएँ	31	46
सक्रिय महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs)	54	63

इन आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नक्सल-प्रभावित जिलों में महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं तक अपेक्षाकृत कम

पहुँच प्राप्त है। प्रसव-पूर्व जाँच तथा संस्थागत प्रसव जैसी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर वहाँ अभी भी राष्ट्रीय औसत से पीछे है।

रक्ताल्पता (एनीमिया) का उच्च प्रतिशत इस बात का संकेत देता है कि महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। दूसरी ओर, संपत्ति स्वामित्व में असमानता यह दर्शाती है कि आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों के संदर्भ में महिलाएँ अभी भी सीमित स्थिति में हैं।

बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भविष्य की पीढ़ी की महिलाएँ भी इस समस्या से प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि विद्यालय उपस्थिति दर अपेक्षाकृत कम तथा विद्यालय छोड़ने की दर अधिक पाई गई है। यह स्थिति दीर्घकाल में लैंगिक असमानता को और अधिक गहरा कर सकती है।

सरकारी योजनाओं एवं संस्थागत पहुँच से संबंधित आँकड़े यह संकेत देते हैं कि नक्सल-प्रभावित जिलों में राज्य और समाज के मध्य विश्वास की कमी तथा भौगोलिक कठिनाइयाँ दोनों ही महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सीमित कर रही हैं।

6. अनुसंधान प्रश्न एवं परिकल्पनाओं का परीक्षण

अनुसंधान प्रश्न 1 (RQ1)

क्या नक्सल-प्रभावित जिलों में महिलाओं की शिक्षा, डिजिटल पहुँच, आर्थिक सहभागिता एवं निर्णय-निर्माण की स्थिति गैर-नक्सल जिलों की तुलना में कमजोर है तथा वहाँ हिंसा का स्तर अधिक है?

परिकल्पना 1 (H1)

नक्सल-प्रभावित जिलों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति (शिक्षा, आर्थिक भागीदारी एवं डिजिटल पहुँच) औसतन निम्नतर है तथा लैंगिक हिंसा का स्तर अधिक है।

सिद्धि

अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार नक्सल-प्रभावित जिलों में केवल 61 प्रतिशत महिलाएँ ही 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकीं, जबकि गैर-नक्सल जिलों में यह अनुपात 74 प्रतिशत था। इसी प्रकार आर्थिक सहभागिता के क्षेत्र में नक्सल जिलों की मात्र 29 प्रतिशत महिलाएँ ही भुगतानयुक्त कार्यों में संलग्न पाई गईं, जबकि गैर-नक्सल जिलों में यह प्रतिशत 42 था।

डिजिटल पहुँच के संकेतकों में भी महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। नक्सल-प्रभावित जिलों की केवल 49 प्रतिशत महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन का व्यक्तिगत उपयोग उपलब्ध था, जबकि गैर-नक्सल जिलों में यह प्रतिशत 67 पाया गया।

लैंगिक हिंसा अथवा घनिष्ठ साथी हिंसा (IPV) की स्थिति और भी गंभीर रही। नक्सल-प्रभावित जिलों की 28 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव दर्ज किया, जबकि गैर-नक्सल जिलों में यह अनुपात 18 प्रतिशत था। यह स्पष्ट करता है कि जहाँ सुरक्षा व्यवस्था अपेक्षाकृत कमजोर होती है तथा सामाजिक संरचनाएँ संघर्षग्रस्त होती हैं, वहाँ महिलाएँ अधिक हिंसा एवं सामाजिक वंचना का सामना करती हैं।

अतः उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर परिकल्पना 1 (H1) सत्य सिद्ध होती है कि नक्सल-प्रभावित जिलों में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार एवं

डिजिटल पहुँच का स्तर कम है तथा हिंसा का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है।

अनुसंधान प्रश्न 2 (RQ2)

क्या बैंक खाता तथा मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधाओं का स्वामित्व महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता को बढ़ाता है तथा हिंसा के अनुभव को कम करता है?

परिकल्पना 2 (H2)

जिन महिलाओं के पास बैंक खाता और मोबाइल फ़ोन का स्वामित्व है, वे घरेलू निर्णय-निर्माण में अधिक भागीदारी करती हैं तथा लैंगिक हिंसा का अनुभव अपेक्षाकृत कम करती हैं।

सिद्धि

अध्ययन में पाया गया कि जिन महिलाओं के पास स्वयं उपयोग योग्य बैंक खाता था, उनमें से 86 प्रतिशत महिलाएँ घरेलू निर्णय-निर्माण (स्वास्थ्य, बड़ी खरीदारी तथा बाहर जाने से संबंधित निर्णयों) में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं। इसके विपरीत, जिन महिलाओं के पास बैंक खाता नहीं था, उनमें निर्णय-निर्माण का अनुपात केवल 67 प्रतिशत पाया गया।

इसी प्रकार मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने वाली महिलाओं में 82 प्रतिशत ने घरेलू निर्णय-निर्माण में सक्रिय भागीदारी दर्ज की, जबकि मोबाइल फ़ोन से वंचित महिलाओं में यह अनुपात केवल 60 प्रतिशत था।

हिंसा के अनुभव के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण अंतर देखा गया। बैंक खाता और मोबाइल फ़ोन रखने वाली महिलाओं में शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव 17-18 प्रतिशत के स्तर पर पाया गया, जबकि इन सुविधाओं से वंचित महिलाओं में

यह अनुपात 27-30 प्रतिशत तक पहुँच गया। यह आँकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि वित्तीय एवं डिजिटल पहुँच महिलाओं को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाती, बल्कि उन्हें हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

अतः उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर परिकल्पना 2 (H2) भी सत्य सिद्ध होती है कि बैंक खाता एवं मोबाइल फ़ोन का स्वामित्व महिलाओं के सशक्तिकरण, निर्णय-निर्माण क्षमता तथा सुरक्षा को सुदृढ़ करता है।

अनुसंधान प्रश्न 3 (RQ3)

क्या स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं तक पहुँच नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं के लिए अपेक्षाकृत कठिन है तथा क्या इसका प्रभाव उनकी सामाजिक स्थिति पर पड़ता है?

परिकल्पना 3 (H3)

नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं में स्वास्थ्य सेवाओं एवं पोषण संकेतकों की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर है, जिसके कारण उनकी सामाजिक स्थिति अधिक असुरक्षित बनी रहती है।

सिद्धि

अध्ययन से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार नक्सल-प्रभावित जिलों में प्रसव-पूर्व कम से कम चार बार स्वास्थ्य जाँच कराने वाली महिलाओं का अनुपात 62 प्रतिशत था, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह 78 प्रतिशत पाया गया। इसी प्रकार संस्थागत प्रसव (Institutional Delivery) का प्रतिशत नक्सल-प्रभावित जिलों में 70 प्रतिशत

तथा गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में 88 प्रतिशत दर्ज किया गया।

पोषण संबंधी संकेतकों में भी महत्वपूर्ण अंतर दिखाई दिया। नक्सल-प्रभावित जिलों की 42 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता (एनीमिया) से ग्रस्त पाई गई, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह अनुपात केवल 32 प्रतिशत था। इससे स्पष्ट होता है कि नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तथा पोषण कार्यक्रमों की पहुँच अभी भी सीमित है, जिसके कारण महिलाओं की शारीरिक एवं सामाजिक स्थिति कमजोर बनी रहती है।

अतः उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर परिकल्पना 3 (H3) भी सत्यापित होती है कि नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं को स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं में अपेक्षाकृत अधिक वंचना का सामना करना पड़ता है।

समग्र विश्लेषण

तीनों परिकल्पनाओं (H1, H2 एवं H3) के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति शिक्षा, आर्थिक अवसरों, डिजिटल एवं वित्तीय पहुँच, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सुरक्षा के लगभग सभी प्रमुख आयामों में अपेक्षाकृत कमजोर है। इसके विपरीत गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाएँ अधिकांश संकेतकों पर बेहतर स्थिति में पाई गईं।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन महिलाओं के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण आधार है। बैंक खाते तथा मोबाइल फ़ोन जैसी सुविधाएँ महिलाओं की निर्णय-निर्माण क्षमता को बढ़ाती हैं, सामाजिक भागीदारी को

मजबूत करती हैं तथा हिंसा की संभावना को कम करने में सहायक सिद्ध होती हैं। इसलिए महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हेतु वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता तथा सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है।

6. संकेतक-स्थिति : पृष्ठभूमि (NFHS-5 से राज्य-स्तर)

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के आँकड़े छत्तीसगढ़ की महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं सशक्तिकरण की एक विस्तृत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार 15-49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ निम्न प्रकार से परिलक्षित होती हैं।

सबसे पहले वित्तीय समावेशन के संदर्भ में यह देखा गया कि लगभग 80 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं उपयोग योग्य बैंक अथवा बचत खाते की स्वामिनी थीं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है तथा महिलाओं की औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

डिजिटल पहुँच की दृष्टि से लगभग 54 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती थीं। इसका अर्थ यह है कि आधी से अधिक महिलाएँ डिजिटल संसाधनों से जुड़ी हुई थीं, परंतु शेष महिलाओं तक डिजिटल तकनीकों की पहुँच अभी भी सीमित थी। यह स्थिति डिजिटल विभाजन (Digital Divide) की ओर संकेत करती है।

शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 15-49 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 61 प्रतिशत महिलाएँ 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकी थीं। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात अपेक्षाकृत अधिक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा के अवसरों में क्षेत्रीय असमानता अभी भी विद्यमान है और ग्रामीण महिलाओं को शैक्षिक संसाधनों तक समान पहुँच प्राप्त नहीं हो पाई है।

आर्थिक सहभागिता के संदर्भ में सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि पिछले 12 महीनों के दौरान भुगतानयुक्त कार्यों में संलग्न महिलाओं का अनुपात केवल 25-26 प्रतिशत था। जबकि व्यापक परिभाषा के अंतर्गत महिलाओं की कुल कार्य सहभागिता लगभग 47 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके विपरीत पुरुषों की कार्य सहभागिता 84 प्रतिशत पाई गई। यह अंतर स्पष्ट रूप से श्रम बाजार में विद्यमान लैंगिक असमानता को प्रदर्शित करता है।

घरेलू निर्णय-निर्माण से संबंधित संकेतकों में महिलाओं की अपेक्षाकृत सशक्त भागीदारी दिखाई देती है। स्वास्थ्य संबंधी निर्णय, बड़ी खरीददारी तथा स्वयं के बाहर जाने जैसे तीन प्रमुख निर्णयों में लगभग 89 प्रतिशत महिलाएँ सहभागी थीं। यह स्थिति इंगित करती है कि पारिवारिक स्तर पर महिलाओं की भूमिका और निर्णय लेने की क्षमता को कुछ हद तक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो रही है।

हालाँकि सर्वेक्षण के सबसे चिंताजनक निष्कर्ष लैंगिक आधारित हिंसा से संबंधित रहे। अध्ययन में पाया गया कि 15-49 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 19 प्रतिशत महिलाएँ शारीरिक अथवा यौन हिंसा का शिकार हुई थीं। इसके अतिरिक्त,

कभी विवाहित महिलाओं में लगभग 20 प्रतिशत ने पति द्वारा शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव होने की जानकारी दी। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि घरेलू एवं सामाजिक जीवन में हिंसा महिलाओं की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण के समक्ष एक गंभीर चुनौती बनी हुई है।

पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी आँकड़े भी चिंताजनक स्थिति को दर्शाते हैं। 15-49 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 42 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता (एनीमिया) से पीड़ित पाई गईं। यह अनुपात दर्शाता है कि महिलाओं की पोषण स्थिति अभी भी कमजोर है तथा स्वास्थ्य सेवाओं और पोषण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता बनी हुई है।

इस प्रकार, NFHS-5 के आँकड़े यह संकेत देते हैं कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने वित्तीय समावेशन तथा घरेलू निर्णय-निर्माण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, किन्तु शिक्षा, आर्थिक सहभागिता, डिजिटल पहुँच, लैंगिक हिंसा तथा पोषण संबंधी चुनौतियाँ अभी भी महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में बाधा उत्पन्न कर रही हैं।

सारणी 7 : वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन

संकेतक	प्रतिशत (%)
स्वयं उपयोग योग्य बैंक खाता रखने वाली महिलाएँ	80
मोबाइल फ़ोन का स्वयं उपयोग करने वाली महिलाएँ	54

सारणी 8 : शिक्षा एवं आर्थिक सहभागिता

संकेतक	प्रतिशत (%)
10 वर्ष या अधिक शिक्षा प्राप्त महिलाएँ	61
भुगतानयुक्त कार्य में संलग्न महिलाएँ (पिछले 12 माह)	25-26
कुल कार्य सहभागिता (महिला)	47
कुल कार्य सहभागिता (पुरुष)	84

सारणी 9 : घरेलू निर्णय-निर्माण

निर्णय क्षेत्र	महिलाओं की भागीदारी (%)
स्वास्थ्य संबंधी निर्णय	87
बड़ी खरीददारी	88
अपने बाहर जाने का निर्णय	89
तीनों में संयुक्त भागीदारी	89

सारणी 10 : हिंसा एवं पोषण संबंधी स्थिति

संकेतक	प्रतिशत (%)
शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव (15-49 वर्ष)	19
पति द्वारा हिंसा का अनुभव (कभी विवाहित महिलाएँ)	20

रक्ताल्पता (एनीमिया) से ग्रस्त महिलाएँ (15-49 वर्ष)	42
---	----

इन सारणियों से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को वित्तीय समावेशन (80 प्रतिशत बैंक खाता) तथा घरेलू निर्णय-निर्माण (89 प्रतिशत भागीदारी) के क्षेत्र में अपेक्षाकृत सशक्त स्थिति प्राप्त है। परंतु शिक्षा (61 प्रतिशत), भुगतानयुक्त कार्यों में सहभागिता (25-26 प्रतिशत) तथा डिजिटल पहुँच (54 प्रतिशत) के आँकड़े यह दर्शाते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में अभी भी पर्याप्त प्रयासों की आवश्यकता है।

सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति लैंगिक हिंसा (19-20 प्रतिशत) तथा रक्ताल्पता (42 प्रतिशत) की है, जो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

7. नीतिगत सुझाव

छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहभागिता, डिजिटल पहुँच तथा सुरक्षा जैसे प्रमुख संकेतकों में वे गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों की तुलना में पीछे हैं। इन असमानताओं को दूर करने हेतु निम्नलिखित नीतिगत उपाय अपनाए जा सकते हैं

(i) शिक्षा एवं कौशल विकास

- NFHS-5 (2019-21) के अनुसार केवल 61 प्रतिशत महिलाएँ ही 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकी हैं,

जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यमान चुनौतियों को दर्शाता है।

- नक्सल-प्रभावित जिलों में आवासीय विद्यालय (Ashram Schools), कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा आदिवासी बालिका छात्रावासों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित कर उन्हें सिलाई, हस्तशिल्प, डिजिटल सेवाओं तथा लघु उद्यमों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

(ii) स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएँ

- NFHS-5 के अनुसार छत्तीसगढ़ की लगभग 42 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता (एनीमिया) से प्रभावित हैं।
- नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में पोषण पुनर्वास केंद्र, आंगनवाड़ी सेवाओं तथा जननी सुरक्षा योजना की पहुँच को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- प्रसव-पूर्व जाँच (ANC) एवं संस्थागत प्रसव की दर बढ़ाने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों तथा आशा कार्यकर्ताओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए।

(iii) आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार

- वर्तमान में केवल 25-26 प्रतिशत महिलाएँ ही भुगतानयुक्त कार्यों में संलग्न हैं।

- महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को अधिक सशक्त बनाकर स्थानीय उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना चाहिए।
- नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में लघु उद्योग क्लस्टर तथा हस्तशिल्प आधारित उद्योग विकसित किए जाने चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकें।

(iv) वित्तीय एवं डिजिटल समावेशन

- छत्तीसगढ़ में 80 प्रतिशत महिलाओं के पास बैंक खाता है, परंतु नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में यह अनुपात केवल 72 प्रतिशत है।
- जन-धन योजना के अंतर्गत विशेष "महिला बैंक खाता अभियान" संचालित किया जाना चाहिए।
- डिजिटल अंतराल को कम करने के लिए महिलाओं को सस्ती मोबाइल योजनाएँ, स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएँ तथा डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

(v) सुरक्षा एवं हिंसा-निवारण

- नक्सल-प्रभावित जिलों में 28 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव दर्ज किया है।
- प्रत्येक जिले में वन-स्टॉप सेंटर (One Stop Centre) तथा महिला परामर्श केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए।

- महिला पुलिस थानों तथा महिला बीट व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए।
- घरेलू हिंसा (IPV) की रोकथाम हेतु सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।

(vi) संस्थागत पहुँच एवं सरकारी योजनाएँ

- नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में केवल 31 प्रतिशत महिलाएँ ही किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर पा रही हैं, जबकि गैर-नक्सल क्षेत्रों में यह अनुपात 46 प्रतिशत है।
- उज्वला योजना, जन-धन योजना तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं के लाभार्थियों हेतु एकीकृत डिजिटल डैशबोर्ड विकसित किया जाना चाहिए।
- पंचायत स्तर पर महिला सहायक अधिकारियों की नियुक्ति कर योजनाओं का लाभ महिलाओं तक प्रभावी रूप से पहुँचाया जाना चाहिए।

(vii) सामुदायिक भागीदारी एवं विश्वास निर्माण

- नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक विश्वास की कमी महिलाओं की सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है।
- महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs), आंगनवाड़ी समितियों तथा ग्राम सभाओं को निर्णय-निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका प्रदान की जानी चाहिए।

- स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जन-जागरूकता अभियानों तथा कला एवं नाट्य गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं की भूमिका को सामाजिक मान्यता एवं सम्मान प्रदान किया जाना चाहिए।

इन नीतिगत सुझावों का उद्देश्य केवल महिलाओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार करना नहीं है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना भी है। उपलब्ध आँकड़े (NFHS-5, 2019-21) यह स्पष्ट करते हैं कि जहाँ वित्तीय समावेशन तथा घरेलू निर्णय-निर्माण में महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हुई है, वहीं शिक्षा, रोजगार, डिजिटल पहुँच, स्वास्थ्य तथा हिंसा-निवारण के क्षेत्रों में अभी भी गंभीर चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

यदि राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा स्थानीय संस्थाएँ समन्वित रूप से लक्षित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करें, तो नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार संभव है।

8. निष्कर्ष

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ के नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति अनेक आयामों में अपेक्षाकृत कमजोर है। शिक्षा के क्षेत्र में केवल 61 प्रतिशत महिलाएँ ही 10 वर्ष या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त कर सकीं, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह अनुपात 74 प्रतिशत पाया गया। इसी प्रकार आर्थिक सहभागिता के संदर्भ में नक्सल-प्रभावित जिलों में केवल 29 प्रतिशत महिलाएँ भुगतानयुक्त कार्यों में संलग्न थीं, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह प्रतिशत 42 था।

डिजिटल पहुँच की दृष्टि से भी उल्लेखनीय अंतर पाया गया। नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों की केवल 49 प्रतिशत महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन का व्यक्तिगत उपयोग उपलब्ध था, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह अनुपात 67 प्रतिशत तक पहुँच गया।

अध्ययन का एक सकारात्मक पक्ष यह रहा कि नक्सल-प्रभावित जिलों की 78 प्रतिशत महिलाएँ घरेलू निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी थीं। यद्यपि यह अनुपात गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में 88 प्रतिशत पाया गया, फिर भी यह संकेत देता है कि महिलाओं की पारिवारिक निर्णयों में भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसके विपरीत, घनिष्ठ साथी हिंसा (Intimate Partner Violence - IPV) का स्तर नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में अधिक गंभीर पाया गया। इन क्षेत्रों में 28 प्रतिशत महिलाओं ने शारीरिक अथवा यौन हिंसा का अनुभव दर्ज किया, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह अनुपात 18 प्रतिशत था। यह स्थिति दर्शाती है कि नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा अब भी एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।

स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी संकेतकों का विश्लेषण भी चिंताजनक परिणाम प्रस्तुत करता है। नक्सल-प्रभावित जिलों की 42 प्रतिशत महिलाएँ रक्ताल्पता (एनीमिया) से ग्रस्त पाई गईं। इसके अतिरिक्त प्रसव-पूर्व स्वास्थ्य जाँच (ANC) कराने वाली महिलाओं का प्रतिशत केवल 62 था, जबकि गैर-नक्सल-प्रभावित जिलों में यह 78 प्रतिशत दर्ज किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य सेवाओं तथा पोषण कार्यक्रमों की पहुँच नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी पर्याप्त नहीं है।

समग्र रूप से यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि नक्सल-प्रभावित जिलों की महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, पोषण, डिजिटल समावेशन तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि वित्तीय समावेशन और घरेलू निर्णय-निर्माण के क्षेत्र में कुछ सकारात्मक प्रगति दिखाई देती है, फिर भी महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण के लिए लक्षित एवं क्षेत्र-विशिष्ट नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है। यदि शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय समावेशन तथा सुरक्षा संबंधी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, तो नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है।

संदर्भ

1. गृह मंत्रालय। (2024)। *वामपंथी उग्रवाद प्रभाग: नक्सल-प्रभावित जिलों की स्थिति* भारत सरकार।
2. लोकसभा। (2024)। *प्रश्न संख्या 2401: नक्सल प्रभावित जिलों की जानकारी* लोकसभा अभिलेख।
3. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS)। (2021)। *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21): छत्तीसगढ़ तथा पत्रका* मुंबई।
4. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। (2023)। *क्राइम इन इंडिया 2022* नई दिल्ली।
5. श्रीवास्तव, एस., एवं अन्य। (2023)। *भारत के जिलों में घनिष्ठ साथी हिंसा का स्थानिक विश्लेषण। वेलकम ओपन रसच।*

6. पाटिल, पी., एवं अन्य। (2023)। *महिला सशक्तिकरण, सामाजिक-आर्थिक कारक और घनिष्ठ साथी हिंसा का अध्ययन* अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका।
7. जुंगारी, एस. (2025)। *डिजिटल सशक्तिकरण और महिलाओं की सामाजिक स्थिति* महिला स्वास्थ्य एवं समानता केंद्र, नई दिल्ली।
8. राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र। (2022)। *स्वास्थ्य विवरणिका: छत्तीसगढ़ के प्रमुख संकेतक* नई दिल्ली।
9. गृह मंत्रालय। (2025)। *वामपंथी उग्रवाद प्रभाग (LWE)* भारत सरकार।
10. प्रेस सूचना ब्यूरो। (2024, 10 दिसम्बर)। *देश के नक्सल प्रभावित जिलों की सूची* भारत सरकार।
11. लोकसभा। (2024, 6 अगस्त)। *प्रश्न संख्या 2401: नक्सल प्रभावित जिलों की स्थिति* लोकसभा अभिलेख।
12. *टाइम्स ऑफ इंडिया*। (2025, जून)। *बस्तर और कोंडागांव को नक्सल प्रभावित सूची से हटाया गया* समाचार रिपोर्ट।
13. अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (IIPS)। (2021)। *राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5, छत्तीसगढ़: तथ्य एवं सारांश*
14. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो। (2023)। *भारत में अपराध 2022* नई दिल्ली: गृह मंत्रालय।
15. श्रीवास्तव, एस., एवं अन्य। (2023)। *घनिष्ठ साथी हिंसा का जिला-स्तरीय विश्लेषण* वेलकम ओपन रसच।